प्रेस नोट
दिनांक 25.04.2026

उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 25.04.2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया, चेकिंग/फ्रिस्किंग व्यवस्था, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता भी चेक की गई, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा अभ्यर्थियों की नियमानुसार सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। आज दिनांक 25.04.2026 को आयोजित परीक्षा की प्रथम पाली में कुल 5,520 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 4322 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1198 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में भी कुल 5,520 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 4405 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1115 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 03 क्षेत्राधिकारी, 40 निरीक्षक, 101 उपनिरीक्षक सहित कुल 449 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है साथ ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर 01 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 01 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गयी है। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भ्रमणशील पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रहीं है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.04.2026, थाना छपिया

जनपद गोण्डा।

थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की नियत से फायर कर घायल करने की घटना का सफल अनावरण

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में गठित थाना छपिया पुलिस टीम की कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2), 309(6), 62, 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को सकदरपुर से सिसईरानीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2026 को समय- थाना छपिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि व्यापारी समर कसौधन निवासी बभनान थाना गौर जनपद बस्ती जिनकी थाना क्षेत्रांतर्गत सिसई रानीपुर में बरतन व ज्वेलर्स की दुकान है, जो कि बभनान (जनपद बस्ती) से लगभग 5 किमी दूर है। समय लगभग 6.30 सांय दुकान बंद कर अपना ज्वेलर्स का बैग लेकर घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में फुलवापुर चौराहे से कुछ पहले अज्ञात बदमाश द्वारा टक्कर मार दी गई व आभूषण से भरा थैला झपटने लगे न देने पर जान से मारने की नियत से गोली मार दी गई व फरार हो गए। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, मौके पर डॉग स्क्वायड व फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर जांच की गयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2), 309(6), 62, 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात चोरो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। आज दिनांक 25.04.2026 को थाना छपिया की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्तगण 01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को सकदरपुर से सिसईरानीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

पूछताछ:

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो द्वारा बताया गया की फूलपुर गाँव के पास सर्राफा व्यापारी से लूट व फायरिंग की घटना में हम दोने के अतिरिक्त दो और लोग सम्मलित थे तथा हम दो मोटरसाइकिल से व्यापारी का पीछा कर रहे थे। गैस गोदाम तिराहे के पास व्यापारी को रोक कर बैग छिनने का प्रयास किया गया तो व्यापारी द्वारा विरोध करने पर अन्य सहयोगी ने अपने पास मौजूद तमंचे से फायर कर दिया जिससे व्यापारी को गोली लग गई। अभियुक्तो द्वारा स्वीकार किया कि चारों व्यक्तियों का उद्देश्य व्यापारी का बैग छीनना था, किन्तु फायरिंग हो जाने के कारण हम लोग बैग छीनने में सफल नहीं हो सके। तथा पकड़े जाने के भय से हम सभी लोग मौके से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा,
02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2),309(6), 62, 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा
02. हे0का0 अरविन्द कुमार
03. का0 शैलेष यादव
04. हो0गा0 केशवराम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.04.2026, थाना छपिया
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की नियत से फायर कर घायल करने की घटना का सफल अनावरण, 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में गठित थाना छपिया एवं SOG टीम की कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2), 309(6), 62, 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को सकदरपुर से सिसईरानीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2026 को थाना छपिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि व्यापारी समर कसौधन निवासी बभनान थाना गौर जनपद बस्ती जिनकी थाना क्षेत्रांतर्गत सिसई रानीपुर में बरतन व ज्वेलर्स की दुकान है, जो कि बभनान (जनपद बस्ती) से लगभग 5 किमी दूर है। समय लगभग 6.30 सांय दुकान बंद कर अपना ज्वेलर्स का बैग लेकर घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में फुलवा पर चौराहे से कुछ पहले अज्ञात बदमाश द्वारा टक्कर मार दी गई व आभूषण से भरा थैला झपटने लगे न देने पर जान से मारने की नियत से गोली मार दी गई व फरार हो गए। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, मौके पर डाॅग स्क्वायड व फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर जांच की गयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है स्थिति सामान्य है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2), 309(6), 62, 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात चोरो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। आज दिनांक 25.04.2026 को थाना छपिया एवं SOG की सयुक्त टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्तगण 01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को सकदरपुर से सिसईरानीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई। घटना के षड्यंत्र एवं क्रियान्वयन में उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त दो अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित रहे हैं , जो वांछित हैं तथा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें प्रयासरत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विवेक वर्मा पुत्र स्व0लालजी वर्मा निवासीग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा,
02. अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीश पाण्डेय निवासी मटियरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-155/2026, धारा 126(2),309(6), 62, 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा थाना छपिया मय टीम
02. SOG प्रभारी गौरव सिंह तोमर मय टीम
03. हे0का0 अरविन्द कुमार
04. का0 शैलेष यादव
05. हो0गा0 केशवराम

मीडिया सेल, गोण्डा।